संख्या-35/2020/1004/सैंतीस-2-2020-1(21)/12

प्रेषक,

एन. पी. पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-17 अप्रैल, 2020

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-587/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2020-21, दिनांक-31.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के 03 माह के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-348.598 लाख (रूपये तीन करोड़ अड़तालिस लाख उन्सठ हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	272.000
03-मंहगाई भत्ता	57.120
55-मकान किराया भत्ता	19.408
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.070
योग-	**348.598**

(रूपये तीन करोड़ अड़तालिस लाख उन्सठ हजार आठ सौ मात्र)

1. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
4. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24.03.2020 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(एन. पी. पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-35/2020/1004(1)/सैंतीस-2-2020- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-35/2020/1004/सैंतीस-2-2020-1(21)/12, दिनांक-17 अप्रैल, 2020 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2020-21) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	55-मकान किराया भत्ता	56-नगर प्रतिकर भत्ता	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	अलीगढ़	15.000	3.150	1.200	0.000	19.350
2	प्रयागराज	2.000	0.420	0.160	0.000	2.580
3	औरैया	5.000	1.050	0.400	0.000	6.450
4	बलरामपुर	2.000	0.420	0.000	0.000	2.420
5	बलिया	5.000	1.050	0.400	0.000	6.450
6	बरेली	8.500	1.785	0.680	0.000	10.965
7	बस्ती	2.750	0.578	0.000	0.000	3.328
8	संत रविदास नगर	5.000	1.050	0.000	0.000	6.050
9	बिजनौर	2.800	0.588	0.224	0.000	3.612
10	बुलन्दशहर	5.250	1.103	0.420	0.000	6.773
11	चन्दौली	3.000	0.630	0.240	0.000	3.870
12	चित्रकूट	4.750	0.998	0.380	0.000	6.128
13	अमेठी	2.000	0.420	0.160	0.000	2.580
14	एटा	37.000	7.770	2.960	0.000	47.730
15	इटावा	2.250	0.473	0.180	0.000	2.903
16	फर्रूखाबाद	9.000	1.890	0.720	0.000	11.610
17	फतेहपुर	3.300	0.693	0.264	0.000	4.257
18	फिरोजाबाद	5.000	1.050	0.000	0.000	6.050
19	गौतमबुद्धनगर	3.000	0.630	0.000	0.000	3.630
20	गाजीपुर	14.000	2.940	1.120	0.010	18.070
21	गोरखपुर	3.600	0.756	0.288	0.000	4.644
22	हरदोई	13.500	2.835	1.080	0.000	17.415
23	हाथरस	14.200	2.982	1.136	0.030	18.348
24	अमरोहा	3.200	0.672	0.256	0.000	4.128

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

25	जौनपुर	2.200	0.462	0.176	0.000	2.838
26	कानपुर देहात	0.600	0.120	0.048	0.000	0.768
27	कासगंज	11.000	2.310	0.880	0.000	14.190
28	लखनऊ	2.250	0.473	0.180	0.010	2.913
29	महोबा	10.000	2.100	0.800	0.000	12.900
30	मैनपुरी	19.000	3.990	1.520	0.000	24.510
31	मथुरा	2.000	0.420	0.160	0.000	2.580
32	मऊ	2.200	0.462	0.176	0.000	2.838
33	मेरठ	4.000	0.840	0.320	0.020	5.180
34	मिर्जापुर	5.000	1.050	0.400	0.000	6.450
35	मुरादाबाद	2.350	0.494	0.000	0.000	2.844
36	मुजफ्फरनगर	1.800	0.378	0.144	0.000	2.322
37	रायबरेली	7.150	1.502	0.000	0.000	8.652
38	हमीरपुर	3.250	0.683	0.260	0.000	4.193
39	संतकबीरनगर	2.150	0.452	0.000	0.000	2.602
40	सुल्तानपुर	8.150	1.712	0.652	0.000	10.514
41	सोनभद्र	6.350	1.334	0.508	0.000	8.192
42	उन्नाव	8.750	1.838	0.700	0.000	11.288
43	वाराणसी	2.700	0.567	0.216	0.000	3.483
योग-		**272.000**	**57.120**	**19.408**	**0.070**	**348.598**

(रूपये तीन करोड़ अड़तालिस लाख उन्सठ हजार आठ सौ मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।